

लूट के तीन अदद मोबाइल के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 42/23 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 40/23 धारा 392 भादवि व बढ़ोतरी धारा 411 भादवि से संबंधित दो नफर अभियुक्तगण 1. पीयूष पाण्डेय पुत्र स्व0 ओम प्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम सिकटौर बाजार मानीराम थाना चिलुवाताल गोरखपुर 2. राजवीर उर्फ छोटू पुत्र स्व हेमन्त जायसवाल निवासी ग्राम सिकटौर बाजार मानीराम थाना चिलुवाताल गोरखपुर के कब्जे से लूट की तीन अदद मोबाइल बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

घटना का विवरण/पूछताछ:-

अभियुक्तगण को पकड़ने के लिए शहर में लगे आई0टी0एम0एस0 व त्रिनेत्र के तहत लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरो का अवलोकन किया गया तो जावा मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों को देखा गया जिसके बाद शहर में जावा मोटर साइकिल के सम्बन्ध में जानकारी करते हुए अभियुक्तगणों गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा उनके कब्जे से लूट की तीन मोबाइल बरामद किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त पियुष पाण्डेय ने बताया गया कि मैंने एक जावा मोटर साइकिल करीब उजाला में खरीदा जिसका किस्त भरने के लिए तथा शौक पूरा करने के लिए मैंने अभियुक्त राजवीर जायसवाल को साथ लिया तथा मोबाइल लूट करने लगे दिनांक 13.01.2023 को छात्रसंघ से कैण्ट रोड पर पैदल जा रहे व्यक्ति से मोबाइल छिना था आगे गोलघर में एक मोबाइल छिना तथा दिनांक 17.01.2023 को हम दोनो ने राजेन्द्र नगर में एक मोबाइल छिना था। जावा मोटर साइकिल रेसर बाइक है जिसका कोई नम्बर नहीं था जिसे पियुष पाण्डेय चलाता था और पिछे बैठकर राजवीर लोगो की मोबाइल छिनता था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. पीयूष पाण्डेय पुत्र स्व0 ओम प्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम सिकटौर बाजार मानीराम थाना चिलुवाताल गोरखपुर
2. राजवीर उर्फ छोटू पुत्र स्व हेमन्त जायसवाल निवासी ग्राम सिकटौर बाजार मानीराम थाना चिलुवाताल गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 42/23 धारा 392 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 40/23 धारा 392 भादवि व बढ़ोतरी धारा 411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

- 1- लूट की तीन अदद मोबाइल -1.सैमसंग 2.रियालमी C2 3.रियलमी
- 2- घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल /बुलेट जावा

गिरफ्तारी की टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी जटेपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का. संजीत यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. हे०.का० मोहसिन खान थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर